ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति

पंचायतराज व्यवस्था के तहत ग्रामसभा को गांव स्तर पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने व उसे लागू करने के कई अधिकार सौंपे गये हैं। ग्रामसभा न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखती है बल्कि गांव स्तर पर बुनियादी सुविधाओं व सेवाओं की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने की भूमिका है। ग्रामसभा में गांव के सभी लोग सदस्य होते हैं, ऐसी स्थिति में पूरी ग्रामसभा गांव के रोजमर्रा के कामों को नहीं कर सकती है। ग्रामसभा के कामों को आसान बनाने व गांव स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कामों में लोगों की भागीदारी मजबूत करने के लिए ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति का गठन किया गया है।

सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की अहम भूमिका है। यदि सजग और सक्रिय हो तो यह समिति सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु ठोस कदम उठा सकती है।

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति कैसे गठित होगी?

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति में कुल 12 से 20 सदस्य होंगे जो विषय के बारे में जानकार एवं रूचि रखते हों। गांव का कोई व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो तथा विषय के संबंध में हित रखता हो, इस समिति में सदस्य बन सकता है। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे –

- समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग से कम से कम एक सदस्य होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से कम से कम एक महिला समिति में होगी।
- समिति में गांव की सभी महिला पंच, आशा कार्यकर्ता, स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम, मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष और क्षेत्र का हैण्डपम्प मैकेनिक/सहायक मैकेनिक समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- समिति के सदस्यों को पारस्परिक सहमति से ग्रामसभा द्वारा नामांकित किया जाएगा।
- समिति की कोई भी महिला सदस्य समिति की सभापति होगी। समिति के विभिन्न खातों के लिए अलग-अलग कोषाध्यक्ष होंगी। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के लिए कोषाध्यक्ष आशा कार्यकर्ता होगी। सभापति और कोषाध्यक्ष का नामांकन समिति के सदस्यों द्वारा आम सहमति से किया जाएगा। समिति का सचिव ग्राम पंचायत का सचिव होगा एवं सहायक सचिव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता होगी। यदि गांव में एक से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा कार्यकर्ता हैं तो अधिक पढ़ी लिखी कार्यकर्ता को सहायक सचिव बनाया जायेगा, योग्यता में समानता होने पर कम उम्र की कार्यकर्ता को सहायक सचिव बनाया जायेगा।

समिति का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समान होगा। नई ग्राम पंचायत के गठन के बाद ग्राम सभा, समिति के सदस्यों को फिर से नामांकित करेगी। समिति के अलग-अलग खाते (जल स्वच्छता अभियान खाता, स्वास्थ्य निधि खाता एवं पोषाहार खाता) होंगे। लोक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य निधि खाते के लिए कोषाध्यक्ष आशा कार्यकर्ता होगी। जल स्वच्छता अभियान खाते का संचालन समिति अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा। पोषाहार खाते का संचालन समिति के अध्यक्ष एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। कोषाध्यक्ष का नामांकन समिति के सदस्यों द्वारा आम सहमति से किया जाएगा।

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की बैठक

समिति का काम अच्छी तरह से चले, इसके लिए सदस्यों को बैठकें करनी होंगी। ये बैठकें जितनी असरदार और व्यवस्थित होंगी समिति का काम उतना ही अच्छा होगा।

- समिति की हर माह कम से कम एक बैठक करना अनिवार्य है। इसके अलावा समिति अपने कामकाज के लिए सभापति एवं सदस्यों की सहमति से जब चाहे विशेष बैठक बुला सकती है।
- यदि बैठक में कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक स्थगित की जायेगी। इस प्रकार स्थगित बैठक के बाद पुनः एक घंटे बाद बैठक बुलाने पर कोरम की जरूरत नहीं होगी।
- बैठक में सहयोग एवं सुझाव के लिए स्थानीय एनजीओ के सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हों।
- बैठक स्थान सुविधाजनक होना चाहिए, ग्राम आरोग्य केन्द्र हो तो वहां बैठक करना उचित होगा।
- समिति के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहना जरूरी है।
- बैठक की व्यवस्था ऐसी हो कि समानता का भाव दिखे एवं स्वच्छता व पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो।
- समिति की बैठक की तारीख, समय एवं स्थान की सूचना तथा एजेंडा समिति के अध्यक्ष के परामर्श से सचिव द्वारा सदस्यों को भेजा जायेगा।

बैठक की प्रक्रिया इस तरह से हो कि सबका जुड़ाव बना रहे। सबसे पहले अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा का क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके बाद पिछली बैठक में हुए निर्णयों एवं उस पर हुई कार्रवाई को पढ़कर सुनाया जाए। जो काम नहीं हुए, उनकी स्थिति और पूरे न होने के कारण बताए जाएं। साथ ही अपूर्ण कामों पर पुनः निर्णय लिए जाएं। इसके बाद क्रमानुसार हर मुद्दे पर चर्चा की जाये एवं सबकी सहमति से निर्णय लिये जाएं, साथ ही निर्णयों पर अमल के लिए जिम्मेदारी, सहयोग एवं समय भी निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। बैठक में सभी सदस्यों को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष सभी सदस्यों को बोलने के लिए प्रेरित करें एवं निर्णयों में उनकी राय लें। बैठक के दौरान सचिव के पास समिति से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

बैठक में हुई चर्चाओं एवं निर्णयों को सचिव द्वारा लिखा जाना चाहिए एवं बैठक के अंत में सभी सदस्यों को आज हुए निर्णयों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद के बाद बैठक की समाप्ति की घोषणा की जाना चाहिए। बैठक में उपस्थित सदस्यों को उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराया जाना चाहिए।

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की शक्तियां एवं कार्य

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति को कार्यो की समीक्षा, पर्यवेक्षण, निगरानी तथा समन्वयन की भूमिका और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान को चलाने के लिए सशक्त किया गया है। संबंधित विभाग, योजना को लागू करने में सदस्यों की भूमिका और समिति की जिम्मेदारियों के लिए अलग तथा संयुक्त रूप से प्रशासनिक निर्देश जारी करेंगे। समिति की मुख्य जिम्मेदारियां निम्न हैं –

- ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं पर नियंत्रण होगा।
- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 (ठ) के अनुसार ग्राम सभा को ग्राम स्तर के सभी शासकीय कर्मचारियों पर निगरानी करने की शक्ति दी गयी है जिसके अनुसार ग्राम सभा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन रोकने, आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने, कार्य की देखरेख एवं पर्यवेक्षण की शक्ति होगी। ग्रामसभा को उप धारा 1 (एक) में दिये गये सरकारी कर्मचारियों के अपचार एवं कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दण्ड देने के संबंध में सिफारिश सक्षम अधिकारी को करने की शक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग में इसका पालन स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा। समिति आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम एवं ग्राम स्तर के स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों पर नजर रखेगी।
- स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण सेवा में पदस्थ कर्मचारियों का मुख्यालय निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित किए गए मुख्यालय की सूचना ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्रामसभा स्वस्थ्य ग्राम तदर्थ समिति को लिखित में देंगे।
- जिन कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र एक से अधिक ग्राम सभाओं में फैला हो, ऐसे अधिकारी कर्मचारी अपने प्रभार के प्रत्येक गांव में जाने के लिए दिन तय करेंगे। तय दिन की सूचना संबंधित ग्राम सभा की ग्राम स्वास्थ्य समिति को लिखित में देंगे। समिति अपने कार्यवाही विवरण में कर्मचारियों के गांव में आने के दिन लिखेगी।
- संबंधित कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी है कि वह निर्धारित दिनांक को अनिवार्य रूप से तयशुदा गांव का भ्रमण करें और समिति के अध्यक्ष व सदस्यों से मिलें।
- ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन तब तक नहीं निकाला जाएगा, जब तक वे अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित ग्राम स्वास्थ्य समिति से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं कर लेते कि उनके द्वारा पूरे माह में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया गया है।
- गांव में काम करने वाले कर्मचारियों का अवकाश मंजूर करने का अधिकार कर्मचारी के मुख्यालय की ग्राम स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत करेगा तथा समिति की आगामी बैठक के कार्यवाही विवरण में इसकी जानकारी दर्ज की जाएगी।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति कर्मचारियों के कार्यालयों तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यो का मौके पर पर्यवेक्षण कर सकेंगी।
- सरकारी कर्मचारी यदि अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा और निर्धारित कार्यक्रम या निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगा, निर्धारित मुख्यालय में निवास नहीं करेगा तो समिति कर्मचारी के अपचार तथा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दण्ड देने के संबंध में सिफारिश सक्षम विभागीय अधिकारी को भेजें।

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति को कैसे प्रभावी बनायें?

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति गांव की स्वास्थ्य योजना बनाने एवं उसे लागू करने के लिए महत्वपूर्ण समिति है। गांव के हर जरूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सेवाओं का स्तर बेहतर बनाने के लिए इस समिति का मजबूत व प्रभावी होना जरूरी है।

यह देखना जरूरी होगा कि समिति के सदस्यों में समिति के कामकाज को लेकर कितनी रुचि है एवं वे कितने सजग हैं? सभी सदस्यों को ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की महत्ता एवं उनके योगदान के बारे में चर्चा करके बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें। यदि कुछ सदस्य समिति के प्रति रुचि नहीं रखते तो समिति के पुनर्गठन के लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा जा सकता है और गांव के स्वास्थ्य व्यवस्था में रुचि रखने वाले अन्य सदस्यों को नियमानुसार शामिल किया जा सकता है। ध्यान रहे ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति ग्रामसभा के प्रति जवाबदेय है और किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ग्रामसभा में ही चर्चा की जायेगी।

गांव के सक्रिय व्यक्ति जो गांव के प्रति सकारात्मक पहल एवं रुचि रखते हैं, उन्हें सभापति की सहमति से सदस्य न होते हुए भी बैठक में शामिल करें। गांव या क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के सदस्यों को भी सहयोग एवं सुझाव के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की बैठक में गांव के स्वास्थ्य व सुविधाओं एवं सेवाओं की बेहतरी के बारे में चर्चा को केन्द्रित करें। गांव की स्थिति का विश्लेषण करें एवं स्थिति विश्लेषण से निकले बिंदुओं के आधार पर आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाये। आवश्यकताओं की सूची अधिक होने पर प्राथमिकता का निर्धारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाये एवं तत्पश्चात् योजना का प्रारूप तैयार किया जाये। प्राथमिकता के आधार पर बनी योजना को ग्रामसभा के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाये। ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्य ग्रामसभा में योजना को स्वीकृत कराने के लिए पंचों के साथ मिलकर गांव के लोगों को ग्रामसभा में आने के लिए प्रेरित भी करें। ग्रामसभा में समिति द्वारा बनायी गयी स्वास्थ्य योजना को स्वीकृति के लिए पैरवी भी करें। इस तरह यदि समिति लोगों के साथ मिलकर काम करती है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी एवं समिति सशक्त होगी।

VIKAS SAMVAD

विकास संवाद, ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल. मध्यप्रदेश. भारत
फोन – 0755-4252789 / vikassamvad@gmail.com

इस अध्ययन सामग्री को संक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है अधिक स्पष्टता या जानकारी हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1994 की मूल प्रति एवं विभागीय निर्देश देखें।